रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08082025-265309
CG-DL-E-08082025-265309

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 550] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 7, 2025/श्रावण 16, 1947
No. 550] NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 7, 2025/SHRAVANA 16, 1947

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 जुलाई, 2025

फा. सं. पीएनजीआरबी/तकनीकी/18-जुर्माना-टी4पंजीकरण/(9)/2024/(ई-5488)/5—पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 (2006 का 19) की धारा 61 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड एतद्वारा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क के लिए सुरक्षा मानक सहित तकनीकी मानक और विशिष्टियां) विनियम, 2008 को और संशोधित करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्: -

1. **लघु शीर्षक और प्रारंभण**

(1) इन विनियमों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड नियामक बोर्ड (नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क के लिए सुरक्षा मानक सहित तकनीकी मानक और विशिष्टियां) संशोधन विनियम, 2025 कहा जाएगा।

(2) ये सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. इन विनियमों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड नियामक बोर्ड (नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क के लिए सुरक्षा मानक सहित तकनीकी मानक और विशिष्टियां) विनियम, 2008 कहा जाएगा।

(a) विद्यमान विनियमन 7 के स्थान पर निम्नानुसार को प्रतिस्थापित किया जाएगा:

“

(1) इन विनियमों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एक स्थापित व्यापक प्रणाली होगी, जिसमें

रूपरेखा, पूर्व-निर्माण, निर्माण, शुरुआत और संचालन के चरणों के दौरान तकनीकी और सुरक्षा ऑडिट का संचालन शामिल होगा साथ ही साथ समय-समय पर निर्दिष्ट सतत आधार पर भी होगा। किसी भी नियोजित परियोजना का विवरण, विस्तृत व्यवहार्यता रिपोर्ट (डीएफआर), लेआउट, पीईएसओ अनुमोदन और पर्यावरण मंजूरी आदि, जो भी लागू हो, प्रत्येक वर्ष मार्च के अंतिम कार्य दिवस से पूर्व बोर्ड को प्रस्तुत किया जाएगा (अगले वित्तीय वर्ष तक) और प्रत्येक तिमाही के अंत के 30 दिनों के भीतर नियमित प्रगति अद्यतन प्रस्तुत किया जाएगा।

(2) 'बोर्ड' सुरक्षा मानक सहित तकनीकी मानकों और विनिर्देशों के अनुपालन की निगरानी प्रत्यक्ष या किसी मान्यता प्राप्त तीसरे पक्ष के माध्यम से तीसरे पक्ष के अनुरूपता मूल्यांकन पर अलग विनियमों के माध्यम से करेगा।

(3) इन विनियमों के अंतर्गत किसी चूक या विचलन या कमी की स्थिति में, प्राधिकृत इकाई पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क बिछाने, निर्माण, संचालन या विस्तार करने के लिए इकाइयों को प्राधिकृत करना), विनियम, 2008 के विनियम 16 के अंतर्गत अधिकृत इकाई चूककर्ता ईकाई के रूप में अर्हता प्राप्त करेगी।

बशर्ते कि उप-विनियम (3) में निहित प्रक्रिया के बावजूद, ऐसे मामलों में:

(i) जिसमे इकाई की ओर से उल्लंघन सार्वजनिक सुरक्षा के लिए आसन्न जोखिम उत्पन्न करता है या
(ii) जिसमे बोर्ड सार्वजनिक हित में या राज्य सुरक्षा के हित में यह निर्धारित करता है कि ऐसा करना आवश्यक है,

'बोर्ड' इकाई को तत्काल उपचारात्मक कार्रवाई करने की आवश्यकता के अलावा, उक्त इकाई के परिचालन को तत्काल निलंबित करने का निर्देश भी दे सकता है तथा ऐसे मामलों में, बोर्ड द्वारा इकाई की सुनवाई का अवसर स्थगित किया जा सकता है और बाद में प्रदान किया जा सकता है।

ध्यान दें 1: नियोजित परियोजनाओं में सभी ग्रीनफील्ड परियोजनाएं शामिल होंगी और ब्राउनफील्ड परियोजनाओं के मामले में, भंडारण, हैंडलिंग या प्रसंस्करण क्षमता में कोई वृद्धि, जनशक्ति में वृद्धि या किसी भी स्थापना/सुविधा के जोखिम स्तर में वृद्धि शामिल होगी।

"

अंजन कुमार मिश्रा, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./283/2025-26]

पाद टिप्पणी :

1. मूल विनियम, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क के लिए सुरक्षा मानकों सहित तकनीकी मानक और विशिष्टियां) विनियम, 2008, भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3(i) में दिनांक 27 अगस्त 2008 को जी.एस.आर. 612(ई) के तहत प्रकाशित किए गए थे।
2. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क के लिए सुरक्षा मानकों सहित तकनीकी मानक और विशिष्टियां) संशोधन विनियम, 2009, भारत के राजपत्र, भाग II, धारा 3 (i) में दिनांक 14 अक्टूबर 2009 को जी.एस.आर. 750 (ई) के तहत प्रकाशित किए गए थे।
3. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (शहर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क के लिए सुरक्षा मानकों सहित तकनीकी मानक और विशिष्टियां) संशोधन विनियम, 2014, भारत के राजपत्र, भाग III, खंड 4 में दिनांक 16 दिसंबर 2014 को फा.सं. एम (आई)/टी 4 एस/सीजीडी/ 1/2010 के तहत प्रकाशित किए गए थे।
4. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क के लिए सुरक्षा मानक सहित तकनीकी मानक और विशिष्टियां) संशोधन विनियम, 2014, भारत के राजपत्र, भाग III, खंड 4 में दिनांक 01.01.2015 को फा. सं. एल-एमआईएससी/VI/1/2007 के तहत प्रकाशित किए गए थे।
5. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क के लिए सुरक्षा मानकों सहित तकनीकी मानक और विशिष्टियां) संशोधन विनियम, 2016, भारत के राजपत्र, भाग III, खंड 4 में 11 मार्च 2016 को फा.सं. एम (1) टी4एस/सीजीडी/1/2010 के तहत प्रकाशित किए गए थे।

6. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क के लिए सुरक्षा मानक सहित तकनीकी मानक और विशिष्टियां) संशोधन विनियम, 2016, भारत के राजपत्र, भाग III, खंड 4 में दिनांक 24 नवंबर 2016 को फा. सं. एम (आई)/टी4एस/सीजीडी/1/2010 के तहत प्रकाशित किए गए थे।
7. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (शहर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क के लिए सुरक्षा मानकों सहित तकनीकी मानक और विशिष्टियां) संशोधन विनियम, 2019, भारत के राजपत्र, भाग III, खंड 4 में दिनांक 19 नवंबर 2019 को फा. सं. पीएनजीआरबी/तकनीकी/1-टी4एससीजीडी/(1)/2019 के तहत प्रकाशित किए गए थे।
8. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क के लिए सुरक्षा मानक सहित तकनीकी मानक और विशिष्टियां) संशोधन विनियम, 2020, भारत के राजपत्र, भाग III, खंड 4 में दिनांक 1 जुलाई 2020 को एफ. सं. पीएनजीआरबी/प्रमाणीकरण/1-सीजीडी(06)/2020 के तहत प्रकाशित किए गए थे।
9. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क के लिए सुरक्षा मानकों सहित तकनीकी मानक और विशिष्टियां) दूसरा संशोधन विनियम, 2020, भारत के राजपत्र, भाग III, धारा 4 में 18 सितंबर 2020 को एफ. सं. पीएनजीआरबी/तकनीकी/1-टी4एससीजीडी//(1)/2020 के तहत प्रकाशित किए गए थे।
10. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क के लिए सुरक्षा मानक सहित तकनीकी मानक और विशिष्टियां) संशोधन विनियम, 2021, भारत के राजपत्र, भाग III, खंड 4 में 8 सितंबर 2021 को फा. संख्या पीएनजीआरबी/तकनीकी/1-टी4एससीजीडी/(1)/2021 के तहत प्रकाशित किए गए थे।
11. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क के लिए सुरक्षा मानकों सहित तकनीकी मानक और विशिष्टियां) संशोधन विनियम, 2024, भारत के राजपत्र, भाग III, खंड 4 में दिनांक 16 फरवरी 2024 को फा. सं. पीएनजीआरबी/प्रमाणीकरण/1-सीजीडी(04)/2023 के तहत प्रकाशित किए गए थे।
12. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क के लिए सुरक्षा मानक सहित तकनीकी मानक और विशिष्टियां) दूसरा संशोधन विनियम, 2024, भारत के राजपत्र, भाग III, धारा 4 में दिनांक 25 अप्रैल 2024 को एफ. सं. पीएनजीआरबी/तकनीकी/1-टी4एससीजीडी/(1)/2020 के तहत प्रकाशित किए गए थे।
13. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क के लिए सुरक्षा मानक सहित तकनीकी मानक और विशिष्टियां) तीसरा संशोधन विनियम, 2024, भारत के राजपत्र, भाग III, खंड 4 में दिनांक 27 दिसंबर, 2024 को फा. सं. पीएनजीआरबी/प्रमाणीकरण/1-सीजीडी(04)/2023 (ई-4451) के तहत प्रकाशित किए गए थे।

PETROLEUM AND NATURAL GAS REGULATORY BOARD

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd July, 2025

F. No. PNGRB/Tech/18-penalty-T4SReg./(9)/2024/(E-5488)/5—In exercise of the powers conferred by section 61 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Act, 2006 (19 of 2006), the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board hereby makes the following Regulations further to amend the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Technical Standards and Specifications including Safety Standards for City or Local Natural Gas Distribution Networks) Regulations, 2008,namely: -

1. **Short title and commencement**:

(1) These regulations may be called the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Regulatory Board (Technical Standards and Specifications including Safety Standards for City or Local Natural Gas Distribution Networks) Amendment Regulations, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Regulatory Board (Technical Standards and Specifications including Safety Standards for City or Local Natural Gas Distribution Networks) Regulations, 2008, -

(a) existing Regulation 7, shall be substituted as under:

"

(1) There shall be an established comprehensive system to ensure compliance with the provisions of these regulations, encompassing the conduct of technical and safety audits throughout the stages of design, pre-construction, construction, commissioning, and operation, and also on an ongoing basis, as periodically specified. Details of any planned project along with Detailed Feasibility Report (DFR), layout, PESO approval and Environmental Clearance etc. as may be applicable, shall be submitted to Board before last working day of March every year (for the next financial year) and regular progress updates within 30 days of the end of every quarter.

(2) The Board shall monitor the compliance with Technical Standards and Specifications, including Safety Standards, either directly or through an accredited third party via separate regulations on third-party conformity assessment.

(3) In the event of any default or deviance or shortfall under these Regulations, the authorized entity shall qualify as defaulting entity under the Regulation 16 of Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorizing Entities to Lay, Build, Operate or Expand City or Local Natural Gas Distribution Networks), Regulations, 2008.

Provided that, notwithstanding procedure contained in sub-regulation (3), in cases:

(i) where the violation on the part of the entity poses an imminent danger to public safety or
(ii) where the Board determines, in public interest or in the interest of State security, that it is so required,
the Board may, apart from requiring the entity to take immediate remedial action, also direct for immediate suspension of operations of the said entity and in such cases, an opportunity of being heard may be deferred and afforded subsequently to the entity by the Board.

Note 1: Planned projects shall include all greenfield projects and, in the case of brownfield projects, shall encompass any addition to storage, handling, or processing capacity, increase in manpower, or increase in risk level of any installation/facility."

ANJAN KUMAR MISHRA, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./283/2025-26]

Foot Note:

1. The principal regulations, Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Technical Standards and Specifications including Safety Standards for City or Local Natural Gas Distribution Networks) Regulations, 2008, was published in Gazette of India, Part II, Sec. 3(i) on 27th August 2008, vide G.S.R. 612(E).
2. The Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Technical Standards and Specifications including Safety Standards for City or Local Natural Gas Distribution Networks) Amendment Regulations, 2009, was published in Gazette of India, Part II, Sec.3(i) on 14th October 2009, vide G.S.R. 750(E).
3. The Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Technical Standards and Specifications including Safety Standards for City or Local Natural Gas Distribution Networks) Amendment Regulations, 2014, was published in Gazette of India, Part III, Sec.4 on 16th December 2014, vide F.No. M(I)/T4S/CGD/1/2010.
4. The Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Technical Standards and Specifications including Safety Standards for City or Local Natural Gas Distribution Networks) Amendment Regulations, 2014, was published in Gazette of India, Part III, Sec.4, on 01.01.2015, vide F. No. L-MISC/VI/1/2007.
5. The Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Technical Standards and Specifications including Safety Standards for City or Local Natural Gas Distribution Networks) Amendment Regulations, 2016, was published in Gazette of India, Part III, Sec.4 on 11th March 2016, vide F.No. M(1)T4S/CGD/1/2010.
6. The Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Technical Standards and Specifications including Safety Standards for City or Local Natural Gas Distribution Networks) Amendment Regulations, 2016, was published in Gazette of India, Part III, Sec.4 on 24th November 2016, vide F. No. M(I)/T4S/CGD/1/2010.
7. The Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Technical Standards and Specifications including Safety Standards for City or Local Natural Gas Distribution Networks) Amendment Regulations, 2019, was published in Gazette of India, Part III, Sec.4 on 19th November 2019, vide F. No. PNGRB/Tech/1-T4SCGD/(1)/2019.
8. The Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Technical Standards and Specifications including Safety Standards for City or Local Natural Gas Distribution Networks) Amendment Regulations, 2020, was published in Gazette of India, Part III, Sec.4 on 1st July 2020, vide F. No. PNGRB/Auth/1-CGD(06)/2020.

9. The Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Technical Standards and Specifications including Safety Standards for City or Local Natural Gas Distribution Networks) Second Amendment Regulations, 2020, was published in Gazette of India, Part III, Sec.4 on 18th September 2020, vide F. No. PNGRB/Tech/1-T4SCGD/(1)/2020.
10. The Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Technical Standards and Specifications including Safety Standards for City or Local Natural Gas Distribution Networks) Amendment Regulations, 2021, was published in Gazette of India, Part III, Sec. 4 on 8th September 2021, vide F. No. PNGRB/Tech/1-T4SCGD/(1)/2021.
11. The Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Technical Standards and Specifications including Safety Standards for City or Local Natural Gas Distribution Networks) Amendment Regulations, 2024, was published in Gazette of India, Part III, Sec.4 on 16th February 2024, vide F. No. PNGRB/Auth/1-CGD(04)/2023.
12. The Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Technical Standards and Specifications including Safety Standards for City or Local Natural Gas Distribution Networks) Second Amendment Regulations, 2024, was published in Gazette of India, Part III, Sec.4 on 25th April 2024, vide F. No. PNGRB/Tech/1-T4SCGD/(1)/2020.
13. The Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Technical Standards and Specifications including Safety Standards for City or Local Natural Gas Distribution Networks) Third Amendment Regulations, 2024, was published in Gazette of India, Part III, Sec.4 on 27th December, 2024, vide F. No. PNGRB/Auth/1-CGD(04)/2023 (E-4451).

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2025.08.08 16:01:13 +05'30'